"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

श्री राम अवधेश सिंह : मंत्री जी ने हमारे सवालों का जवाब दे दिया है क्या ? मैं समझता हूं कि इन्होंने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया है ।

श्री कल्पनाथ राय : आप यहां थे ही नहीं तो आपकी बातों का जवाब क्या देते ।

The Vice-Cchairman (Dr. Bapu Kaldate) in the Chair.

THE REGIONAL RURAL BANKS (AMENDMENT) BILL, 1987.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): Sir, I beg to move;

"That the Bill further to amend the Regional Rural Banks Act, 1976, as passes by the Lok Sabha, be taken into consideration. "

Sir, Regional Rural Banks were first constituted by Government in October, 1975 under RRB Ordinance, -T 1975, which was later substituted by the Regional Rural Banks Act, 1976. They were conceived mainly as low cost institutions staffed by persons residing within the jurisdiction of the area of operation, namely, one or two districts for each RRB to ensure that in their functioning the RRB observ-; ie utmost economy. At present, there are 196 Regional Rural Banks cc vering 357 districts in 23 States in the country

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: (West Bengal): Excuse me, what is *It* the present figure of number of districts covered?

SHRI JANARDHAN POOJARI; 357 districts in 23 States. These banks have a network of about 13, 000 branches. The RRBs have mobilised deposits amounting to Rs. 1763 crores ana given loans aggregating Rs. 1846 crores. The total staff of RRBs comprise of 24067 officers, 22178 clerks and 631 subordinate staff as on 31-12-1986.

The RRB Act contains various provisions regarding incorporation, regulation and working of RRBs. The present Bill seeks to make amendments to the main Act in the light of the experience gained in the administration of this Act during the last over 10 years. While commending the Bill for the consideration of the House, I shall confine myself to exr plain some of the more important provisions contained in the Bill.

M present, in terms of Section 6(1) *of* RRB Act, the issued capital of | each RRB shall be Rs. 25 lakhs. In view of the growth TH business, it is desirable that issued capital of Rs. 23 lakhs which was fixed more than 10 years ago should be revised upwards, and fixed between Rs. 25 lakhs and Rs. one crore for each RRB. This will enable the RRB to meet additional expenditure on account of the opening of branches in remote rural areas, servicing large numbers of bor-rowal accounts and training of staff etc. Simultaneously, the authorised capital is also being increased from Rs. 1 crore at present to Rs. 5 crores.

The Board of Directors of a RRB consists of a Chairman and not more than 8 directors to be nominated by the Central Government, the State-Government and the sponsor bank. It has been the practice to nominate two non-officials on the Board of each RRB, one from quota of the Central Government and the other from sponsor bank. The other directors are officials of the sponsor bank, the State Government and the Reserve Bank of India. In the interest of administrative simplicity, it is proposed that two non-officials may be nominated by the Central Government

[Shri lanardhan Poojari]

and the remaining six directors should be nominated by the Reserve Bank of India, NABARD, sponsor bank and the State Government directly according to the quota allotted to them.

According to the provisions contained in Section 11 of the RRB Act, the Chairman of a RRB is appointed by the Central Government. He is normally an officer of the Middle Management level of the sponsor bank. It is proposed that the Chairman should be appointed by the sponsor bank in consultation with NABARD.

Ti"l recently, in terms of Section 17 of the RRB Act the RRBs were recruiting their staff and officers. It has been considered necessary to en-the functioning relating to the re-cruitment of RRB staff to the existing Banking Service Recruitment Boards.

At present, there is no provision in the RRB Act for the amalgamation of RRBs. Keeping in view trie adminis- j trative convenience in regard to I supervision and control over branches and without affecting the viability of the old and emerging units-, it is proposed that there should be provision regarding amalgamation of smaller RRBs.

It is desirable that the sponsor bank should take over the responsibility of periodical and internal audit of the' RRBs by the sponsor bank. The sponsor bank should also monitor the Progress of the RRBs by 'keeping a watch on important indicators relate ing to deployment of funds, staff ratio and advise their RRBs on suitable corrective action where needed. For this purpose, it is proposed to suitably arm the sponsor banks with statutory authority.

It is proposed to provide that the •bligatioin of the sponsor bank to aid and assist RRB by training of personnel shall be without any time limit, the obligation of the sponsor bank to provide for managerial and financial assistance shall be limited to the first five years of its functioning which period may be extended by the Central Government under certain £ circumstances and recruitment of personnel of RRBs will no longer by the ob7igation of the sponsor banks.

Sir, there are certain other provisions of minor nature in this Bill which are mainly of procedural or consequential nature.

With these remarks, I commend the Bill to the House for consideration.

The question was proposed.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Mr. Vice-Chairman, Sir, the problem, about the Regional Rural Banks is that whatever the Government do, I even when they intend to do some>-thing good, they cannot help doing something wrong. There is absolutely no doubt in my mind that Regional Rural Banks are a useful device. Why do I say so? I will draw a picture of banking in India and contrast it with the general rural banks and indicate why Regional Rural Banks are good.

As you all know—he has also said it—in the rural areas it is not only "^ the Regional Rural Banks which func tion but there are also rural branches of commercial banks, mainly of the public sector, and there are some private sector banks also. The num ber of branches of the commercial banks in the country-side is about 30, 000 while that of Regional Rural Banks is approximately 13, 000. This is one indication of the difference in the functioning of the powers-that-be. The other indication is that they have to take the rual people with them and so they have provided for ruralBanks. But the largest number of branches are in the commercial sector. This is one aspect that I want the House and the Minister to re-member.

The: second aspect—which is very important—is, in the rural branches of the commercial banks the credit-deposit ratio, as is admitted by the Reserve Bank of India, is coming down. More deposits are collected from the rural side and less money is given as advances or credit and, as we have repeatedly drawn attention to, *Jfiss* is more so in the eastern and north-eastern region. I have got some figures about this. In the north and the more advanced areas, the credit-deposit ratio is 75 to 80 per cent, and that also is coming down, reflecting the problem of the economy as a whole. But in the eastern region it is 50, 55 or 60 per cent. This is the kind of disbalance in the growth of the economy. But the main contrast that I want to draw is in the case of the Regional Rural Banks and there the credit-deposit ratio is invariably more than 100 pe'r cent. It is not a . taction of the deposits. It is more fhan the deposits that go via the Regional Rural Banks to the rural sector, while the commercial banks mobilize deposits in order to lend the money elsewhere. If this statement is not believable, then I will quote a figur, ? from the Reserve Bank of India. That figure shows that while bank deposits expanded, the advances have expanded in the case of medium and large industries to such an extent that in the course of one year their share of advances grew from 25. 2 per cent "Tto 46. 7 per cent. We can imagine the close nexus between the large and medium sector controlled by the large houses and the finances of the commercial banks. I prefer the Regional Rural Banks precisely for the reason that they do not have to cater t_0 this sectcr. This welcome feature is there. Ever ir. terms of mobilisation of deposits. 1 would be seen that a major part of savings from indiivduals is in the Rural Banks. That is true for commercial banks also. But the share pf individuals is much higher in the case of the RRBs than in the case of the commercial banks. The share of the salary earners, wage-earners in the RRBs, contrary to our belief that the commercial banks would be procuring more, is also much higher than that of the commercial banks. The deposits of the Government or the public sector, all the same, in the Regional Rural Banks is very little. Why should this discrimination continue to be there once the first step of establishing the RRBs, has been taken?

Madam, one question that I do not find any answer to is: Why can't it be that all regional and rural banks' branches including those of the commercial banks be merged with the

: RRBs? They have a higher credit-deposit ratio. You are unable to utilise all the deptsits in the commercial banks' branches. The RRBs are closer to the people, and this is one argument which the Finance Minister utilises in order to deprive them of the wages that commercial bank employees get. I wonder, if you think that the RRB is a success story, why you do not, number one, transfer all the branches of the commercial banks in the rural areas to these people. j They have provision to advance for small entrepreneurs also. Other banks concentrate on urban areas. Let them do that. This is one question that haunts me. I do not know what answer the Finance Minister has got today.

Secondly, I do not know and, therefotre, I am asking: How many Regional Rural Banks are there really in the districts? About amalgamation of the Regional Rural Banks, I will i come to that, and I have a point to observe. The_v have provided for amalgamation. As of today. each district does not have a separate Regional Rural Bank. There are some 119 or 120. You correct me kindly.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR (Karnataka): One hundred and ninety-six.

SHRl NIRMAL CHATTERJEE: One hundred and ninety-six Regional Rural Banks are there. But the districts covered are 356, which indicates that

[Shri Nirmal Chatterjee]

each Regional Rural Bank covers more than one district on an average. Why should that be so. If you find in the Regional Rural Bank the merit of contact with the ground, then, why should each district not have a separate Regional Rural Bank? That is the second question to which I would like to get ao answer from you.

Thirdly, how many districts are there whore there is majority of urban populatioi? I know of one district in West Bengal. That is known as Calcutta. Certainly Calcutta, as a district, *hi* entirely urban. How many such districts are there where the urban population is in majority? Ney, I will go stronger. How many districts are there where the rural population is not in an overwhelming majority? If such districts are rare, then tell me why is it that the lead banks in each district should come from the commercial banks and not from the Regional Rural Banks? This is another question which I do not know what answer the Government have. If rural lending is primarily the objective, including the small entrepreneurs, artisans, peasants, the lead bank should be the regional rural bank. Following from this may I make a submission if this whole approach of having a sponsored bank for a regional rural bank, is not almost a thinking of the colonial days? Delink them. We need regional rural banks. They can function well have their autonomous existence independent of the sponsored banks. If you want expertise, you can always borrow from the public sector banks. So, the lead banks, I suggest, should be th$_e$ regional rural banks and no other banks. It is in this context I offer my criticisms of the Bill. What is the criticism? The fact that you are providing for a larger equity is welcome. It could have been more, it should have been more, but in doing this good piece of thing, limited though, what are you ignoring? A director from the State will come from amongst those who are the relevant people, clossest to the ground in the district. Are we not talking about the Panchayati Raj or Panchayati system even where it is non-existent? If that be so, is it not absolutely necessary that for a regional rural bank there should be a director from Zila Parishads? You cannot dream in this manner. You are so aristocratic, so exploitative in youjl psychology that you condescend upon the Panchayati system Therefore, when you are forced to think at least about the State, you cannot think about the fact that the Zila Parishad should send one who should be its chairman or Sabhapati should be on the Board of Directors. You say that the employees are paid lower wages, lower scales so that they are in tune with the State employees and in tune with the income level of the rural people or the district. Now, if you accept that they are granted lower wagea for having some kind of function that commerical banks are engaged in expecting that the commercial bank branches have nexus, the employees can establish with the large and medium owners, if this is the kind of expectation you have, then why do you deny the employees from the regional rural banks a position in the management of the regional rural banks? Why don't you have in that case a director from them also? This is another thing which I fail to understand. You have introduced amend-^ ments. Your Clause 4(1) says that the headquarters of the regional rural bank—not in the amendment, in the original Act—will be decided by whom? By the Centre. You don't have this common sense that in order to handle credit, in order to handle deposits, the person who knows most about the district would be the district Panchayat people. You have no provision to consult them about where the headquarters should be. This is about Section 4. That is about Clause 9 about Directors. And you talk of amalgamation. Can you imagine? I -f do not know whether it is a slip or eynicism one hundred per cent that introduces this kind of amendment.

Sir, think of amalgamation which j they are talking about. I believe there should be further disjoining so that each district can have RRB. They in their anxiety have provided for amalgamation in case the need arises. I am afraid they feel that they should be ^amalgamated immediately. But while amalgamating I read the clause "Every notification issued under sub-clause may also provide for "all"—mark the word "alL" or "any" of the following matte'rs. All or any which are the two things? First thing is about the conditions of the emplyees and the second is about the other. You want to protect while amalgamating. | You provide for "all" or "any" not compulsory that the employees' emoluments or conditions of the service will j be protected. I do not know whether j it is a slip or it is a demonstrated xynicism when you are prepared to i attack the employees. (Time bell) Sir, if you ring the bell, I will continue to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): I am sure you will not do that.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Give time for this side also.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: I think the Parliamentary Affairs Minis ter would be encouraging me to speak. But if we consume more time, then, somebody will come from the Lok Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): I am trying to discourage you.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: I mentioned about the directors. I have submitted some amendments. So this is what I say about the notification. Your tributes, homage to State Governments that the director will be from the State Government, would be very excellent. A Chairman has to be dismissed. Who will dismiss? You do not have the courtesy to provide for since all these are separate entities. In dismissing the director from the State or the State Government, you have to be consulted. This is what you have provided for.

Lastly, I will conclude, because I am such an obedient Member, that one of the problems of the wage structure is each State have a pattern, each RRB is situated in one State and they have a particular pattern of scales which is inconsistent with the State's structure. Now, the fun of the situation is that if they decide that injustice is being done and we must talk to some people the entire Bill does not provide for any authority to whom they can talk. Whom will they talk to? The scales are decided by the State RRB. It is governed by NABARD. All the RRBs are united. There is a very big union. They do not know whom to talk to. You go to RBI; they will say go to NABARD. You go to NABARD; they will say go to State Regional Rural Bank. You go to RRB; they will say go to Sponsor Bank. Is it this kind of attitude, is it this kind of provision of authority which will help inspire the employees of the RRB to function as they were functioning according to the estimates of the Ministry of Finance? We have given the amendments and we also know the rigidity that a particular Minister is involved in because the clearance has to come from the supremo. The attack or the refusal *to* attack the concession tr withholding the concession cannot be decided by the Minister particularly after the Fairfax issue. It has to come from the supremo.

I, therefore, submit that in case you feel inclined to accept the amendments that we are moving, then you do not give your reply today; consult your supremo and come back tomorrow to give your reply. Thank you.

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय पुजारी जी द्वारा रखे गए प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन

[श्री मोर्जा इर्शादबेग]

विधेयक 1987 **के समर्थन में मैं अपना वक्तव्य दूंगा।**

मान्यवर नरसिम्हन ग्रुप ने सन् 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया और सरकार ने इसे मूर्त स्वरूप दिया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् छह वर्षों में भी ग्रामीण जनता के समूह नहीं बन सके थे और सहकारिताएं भी सही मायने में कहिए वह इन्हें लाभान्वित नहीं कर पाई थीं इसलिए केन्द्र तथा राज्य ने स्पोंसोर्ड बैंक के सहकार से एक नई व्यवस्था देश के समक्ष ग्रामीण बैंकों की बनाई। सन् 1976 तथा 1977 में कामदस स्टडी ग्रुप तथा तांदवाला समिति ने इस दिशा में अच्छे निर्देश दिए। मान्यवर 30 जून 1986 में 341 जिलों में और जैसा अभी मंत्री जी ने कहा अब इसकी संख्या शायद 356 हो गई है. 193 शाखाएं देश में प्रस्थापित की और यह भी उल्लेखनीय है कि इन बैंकों ने 40 लाख की डिपोजिट से प्रारंभ करके 188 बैंकों ने उसे एक वर्ष पूर्व 1 लाख 286 करोड़ रुपये तक पहुंचाया, एडवांस के मामले में 1,408 करोड़ तक उसे पहुंचाया है।

मान्यवर, ग्रामीण जनता और खासकर किसान पैसों के भुगतान में बड़ा ही प्रमाणिक है और अन्य बैंकों की अपेक्षा ग्रामीण बैंकों की रिकवरी 75 प्रतिशत से भी अधिक है। यह मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो लोग दूसरे विस्तारों में अन्य बैंकों से ज्यादा कर्ज लेते हैं, पैसे की मात्रा भी उनकी ज्यादा होती है और जो भुगतान, रिकवरी रेशो है, वह बहुत कम आता है। यह अलग बात है, कि जैसा अभी मान्यवर सदस्य ने कहा, नार्थ-ईस्टर्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम है और 3 प्रतिशत मात्रा में इन बैंकों का वहां पर गठन किया गया है, जिसका विस्तार करना आवश्यक है। मैं मान रहा हूं, मंत्री जो इस दिशा में भी सक्रिय होकर आगे कदम उठाएंगे।

मान्यवर, बैंकों की वायबिलिटी डिपोजिटों पर निर्भर है, जिसके अभाव में ग्रामीण बैंकों का विकास अवरुद्ध होता है। सन् 1986 में डिपोजिट-ग्रोथ रेट के जो आंकड़े थे, उसको मद्देनजर करना आवश्यक है। मान्यवर, मैं सदन के सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि रूरल क्षेत्रों में डिपोजिट ग्रोथ 14,230 करोड़ यानी 14.5 प्रतिशत, सेमी-अरबन क्षेत्र में 20,380 करोड़ यानी 20.8 प्रतिशत, अरबन-क्षेत्र में 25,481 करोड़ यानी 26 प्रतिशत तथा मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में 37,899 करोड़ यानी 38.4 प्रतिशत हुआ। इससे स्पष्ट है सबसे अधिक मेट्रोपोलिटन क्षेत्र और अरबन क्षेत्रों में रहा। मान्यवर, यह गौर करने के काबिल है कि 191 ग्रामीण बैंकों में आज 90 करोड़ का घाटा है, जो इस पर निर्भर होता है।

मान्यवर, दांतवाला समिति ने जो वाणिज्यिक बैंकों में ग्रामीण क्षेत्रों की जो क्रेडिट बिजनेस की सिफारिश की थी, उसके अनुसार उनका जो क्रेडिट बिजनेस है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में सपोर्ट करना चाहिए। मैं मंत्री जी से यह स्पष्ट जानना चाहूंगा कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है, वह सदन के सामने बताने की कोशिश करें।

मान्यवर, सातवीं योजना में ग्रामीण बैंकों का विस्तार देश के तमाम जिलों में करने का मैं स्वागत करता हूं। आई०आर० डी०पी० के लाभान्वित व्यक्तियों का चयन करके उसे अधिक सहारा इन बैंकों के माध्यम से देकर हम उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सहायता कर सकते हैं। मैं मंत्री जी से इस बारे में जानकारी चाहूंगा कि आगे इसमें किस तरह के कदम लेने हैं और किस तरह, कितने व्यक्तियों को इस माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिश की गई है?

मान्यवर, अभी चटर्जी बाबू बात कर रहे थे, 1981 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 68.4 करोड़ है जिसके 76.3 प्रतिशत लोग यानी 52.2 करोड़ लोग 5.76 लाख गांवों में बसते हैं। मान्यवर, इन तमाम गांवों में एक हजार से कम आबादी के जो गांव हैं उनकी संख्या, 71.5 प्रतिशत है। इसी से यह

प्रतिपादित होता है कि हमारी तमाम प्रायोजनाओं के लिए-गांव तथा गांव से सम्बद्ध कृषि, कृषक तथा ग्रामीणों के लिए हमें समुचित ध्यान देना है। मान्यवर, इसमें से 6 लाख गांवों में 52 करोड़ लोग बसते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा जो विकास का दृष्टिकोण है, जो लक्ष्य है वह ग्रामीण जनता और ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है।

मान्यवर, केलकर समिति ने जो अपने सुझाव दिए थे और उसके प्रस्तावों के कार्यान्वियन के संबंध में भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, जैसाकि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे ग्रामीण बैंकों की स्थापना ही वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी बैंकों के अच्छे अंगों का मिश्रण है। चटर्जी बाबू अभी कह रहे थे कि वाणिज्य बैंकों के साथ ही इन चीजों को चलाना चाहिए। लेकिन वाणिज्य बैंकों के भी कुछ ऐसे अंग थे, जिनकी वजह से वहां करपसन था। उसी तरह सहकारी बैंकों में भी कुछ अवगुण थे। इसलिए मैं समझता हूं कि इन दोनों के जो अच्छे लक्षण थे उनको शामिल कर के ग्रामीण बैंकों की स्थापना का अच्छा प्रयास किया गया है।

मान्यवर इस संबंध में केन्द्र सरकार के 50 प्रतिशत योगदान, राज्य सरकार का 15 प्रतिशत और स्पोंसर्ड बैंकों के 35 प्रतिशत योगदान पर इसकी बुनियाद रखी गयी है किन्तु इसमें शेअर कैपिटल के जो 49 प्रतिशत रूपए खत्म हो गए। अब इसमें जो इजाफा किया गया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। मान्यवर, इन सब बातों को देखते हुए अगर हम सबसे पहले इसके घाटे को देखें तो पाएंगें कि इन बैंकों का घाटा करीब 90 करोड़ रुपयों के करीब है। मैं चाहूंगा कि सरकार को नोंबार्ड की बजाय स्पोंसर्ड बैंक से रिफायनेंस की सुविधा देनी चाहिए ताकि इसका विकास सही मात्रा में हो सके। मान्यवर यदि 7 प्रतिशत की दर से नाबार्ड को यह सुविधा प्राप्त **हो सकती है तो यह हम ग्रामीण बैंकों को क्यों नहीं दे सकते। मान्यवर में चाहूंगा कि** क्रेडिट डिपाजिट रेशियो का दुराग्रह इन ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में नहीं रखना चाहिए। यह विधेयक का जो संशोधन है वह ग्रामीण जनता के लिए लाभप्रद है। इसका मैं स्वागत करता हूं। किंतु काम-सियल बैंकों की तरह भ्रष्टाचार के पंजे इन ग्रामीण बैंकों पर भी फैलाए हैं। अब देखना है कि इन बैंकों के माध्यम से बीस सूत्रीय तथा पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा।

मान्यवर इन ग्रामीण बैंकों में स्थापित हितों का निवारण करने की कोशिश की गयी है। मैं उसका स्वागत करता हूं: लेकिन यह भी देखना है कि कहीं यही स्थापित हित इस बैंक बिल के दरवाजे से आकर उसके कार्यक्षेत्र पर अपना विस्तार न करें। यह देखना अति-आवश्यक है।

मान्यवर इसमें कर्मचारियों की भी बात बतायी गयी है। मान्यवर मेरी यह मान्यता है कि कोई भी कार्यक्रम लिया जाय जब तक उस कार्यक्रम के साथ उसका कमिटमेंट नहीं हो तो चाहे वह बैंक का क्षेत्र हो चाहे वह रिजर्व बैंक का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो जब तक उसमें काम करने वाले लोगों का कमिटमेंट नहीं है तब तक उसके जो परिणाम आने चाहिए वह सही मात्रा में हम नहीं ला सकेंगे। इसलिए मान्यवर यदि कर्मचारियों और अधिकारियों का ग्रामीण विकास के साथ यदि कमिटमेंट नहीं है तो इसके परिणाम हम नहीं ला सकेंगे और हमने ग्रामीण विकास का या गरीबी रेखा से गरीबों को उठाने का जो लक्ष्य बनाया है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिये इन बैंकों के कर्मचा-रियों की सेवा में समर्पित होना चाहिए। मैं यह मांग करूंगा कि कम से कम ग्रामीण जनता क्या है. ग्रामीण जनता की मांग क्या है और ग्रामीण जनता की विकास और उसका विस्तार हम कैसे कर सकते हैं इस सबकी जानकारी देने के लिये उनको अपनी सेवा में लेने के पूर्व यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि एक महीने की ट्रेनिंग

[श्री मिर्जा इर्शादबेग]

ऐसे कर्मचारियों को अवश्य दी जायगी। ऐसी मांग में मंत्री जी करता हूं।

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का अगर बल प्रदान करना है तो हमें चाहिए कि हम इसमें अधिक पैसा दें। वहां हमको डिपाजिट कम मिलेंगे क्योंकि वहां सोर्सेज कम हैं और वे लोग गरीब हैं। हमको चाहिए कि उनको हम ज्यादा से ज्यादा सहायता करें और इसकी क्षमता को हम बढ़ायें और ऐसे कमिटेड लोगों को इसमें शामिल करें कि जो इस काम को आगे बढ़ा सकें।

इसके अंदर कामदारों की बात कही गयी है। 44000 कामदारों में से 29000 कामदारों को इसके अंदर प्रशिक्षण दिया गया। अब देखिये जो इस व्यवस्था में शामिल किये गये लोग हैं उनको कितनी मात्रा में हमने प्रशिक्षण दिया है। अगर इस प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया में कुछ और लोग छूट गये हैं तो मैं मांग करूंगा कि उनको सबसे पहले आप प्रशिक्षित करें और उसके बाद की इस कार्यक्रम को आप आगे चलायें।

मैं यह भी कहूंगा और मुझे दुख होता है इसको लेकर कि किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में त बड़ी डिस्पेरिटी है। अभी अपने एक मित्र से मैं बात कर रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ड्राइवर है, एक डी०टी०सी० का ड्राइवर है, एक स्टेट गवर्नमेंट में ड्राइवर है, वहां की स्टेट ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर है, तो काम सबका गाड़ी चलाने का है लेकिन उन की पगार जो उनको मिलती है, जो उनकी सैलरी वह अलग-अलग है। अगर उनका काम एक है तो उनकी पगार अलग अलग क्यों हैं? इस प्रकार के रेट को एक करने का हमारा प्रयास होना चाहिए और इस लिये मैं मांग करूंगा कि इन बैंकों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वह दूसरों की तरह ही काम करते हैं और इसलिये जो उनके वेतनमान हैं उन को समान होना चाहिए और इस बात की मैं मंत्री जी से मांग करता हूं। साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस दन की एश्योरेंस कमेटी का मैं एक सदस्य हूं। अभी जब हम बाहर गये तो मैंने देखा कि यहां सरकार ने एक घोषणा की, नीति की घोषणा की कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जितने भी कर्मचारी हैं उनको वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में स्थान दिया जायगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो अधिकारी लोग वहां बैठे हैं जब उनको पूछा गया कि सरकार की इस नीति का कार्यान्वयन आप क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने उसके लिये बहानेबाजी बतायी। यह इसलिये कि उनका उस नीति के लिये कोई कमिटमेंट नहीं है और आज देश में जो कार्यक्रम चलाये जाते हैं वे इसलिए चल नहीं पाते हैं। सरकार जिस नीति की घोषणा करती है उसके उचित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। मेरा मत है कि अधिकारियों के दिल दिमाग और दृष्टि उस नीति के साथ जुड़ी हुई नहीं है। इस लिये मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से पुजारी जी से कि इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को लगाया जाय कि जो इस नीति को पूरा करने में विश्वास रखते हों, एक दृष्टि रखते हों, क्षमता रखते हों। ऐसी मांग मैं पुजारी जी से कर सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन बैंकों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको, सरकार ने जो नीति घोषित की है उसके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन में प्रतिनिधित्व दिया जायगा और उनको संचालन की पद्धति में शामिल किया जायगा।

मैं फिर बार डिस्पैरिटी की बात करता हूं। अभी आंकड़े मैंने बताये कि ग्रामीण जनता की संख्या क्या है। कितने लोग वहां रहते हैं और कितने शहरों में रहते हैं, लेकिन जिस धनराशि के वे हकदार हैं वह उनको मिलती नहीं है। जो कार्यक्रम सरकार बनाती है उसमें भी कुछ डिस्पैरिटी मिलती है। बैंकों में व्यापारियों के लिये क्रेडिट की सीमा है, लेकिन किसानों के लिये कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का इंसान किसान है, उसके लिये क्रेडिट की कोई सीमा नहीं है वह क्रेडिटलैस हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले गरीब, मजदूर, जूता पालिश करने वाले, साग भाजी बेचने वाले की कोई हैसियत नहीं थी। जिसके पास बंगला हो मोटर हो उसका क्रेडिट बैंक में चलता था। इंदिरा जी ने यह कार्य

5.00 p.m.

क्रम शुरू किया था बैंकों का नेशनलाइजेशन करके ताकि किसानों को गरीब लोगों को लोन मिल सके लेकिन आज व्यापारियों के लिए या जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं उनके लिए तो क्रेडिट की सीमा है। लेकिन किसानों के लिए बैंकों में क्रेडिट की कोई सीमा नहीं है, । इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों के लिए भी क्रेडिट की सीमा तय करने पर आप विचार करें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और शायद आप भी इससे सहमत होंगे कि किसानों । उनमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जहां भी आप जाएं आप देखेंगे कि किसानों का बैंकों में कोई प्रतिनिधि नहीं होता । मैनेजमेंट में कम से कम पंचायत का प्रतिनिधि परिषद् का प्रतिनिधि या ब्लाक समिति का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि इसमें दो नान-आफिशियल डायरेक्टर होंगे । लेकिन कम से कम जो जन प्रतिनिधि है उनका इनमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, किसानों को उनमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सांसदों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर मर्तबा जब बिल आते हैं तो हम उस बारे में कहते हैं लेकिन ये बिल जहां ड्राफ्ट होते हैं वे लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो । इसलिए मैं मांग करूंगा कि जन प्रतिनिधियों को उसमें शामिल करना चाहिए ।

मान्यवर, पिछले एक वर्ष के आंकड़े हम देखें, अगर मेरे आंकड़े सही है, तो 40 प्रतिशत ग्रामीण बैंकों में फील्ड आफिसर नहीं हैं। यह बात अगर सही है तो उनको भरने की कोशिश आप करें। इसके लिए कोई शैड्यूल्ड टाइम भी नहीं बनाया गया है कि बैंक कब खुलता है, कब बंद होता है । इसलिए मैं मांग करूंगा कि इन बातों को इसमें शामिल करें । (समय की घंटी)

आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा हमारे आर०बी०आई० और इकाई के द्वारा उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए क्योंकि पिछले दरवाजे से ऐसे तत्व न आ जाएं जो पूरे कार्यक्रम को तोड़ दें, और वहां पर भ्रष्टाचार हो जाए। भैंस के लिए लोन लेना है तो सौ दो सौ रुपए किसी की जेब में न डालने पड़ें । इसके लिए माननीय मंत्री जी ने कई राज्यों में दौरे किए हैं । मैं आशा करता हूं कि इस ओर मंत्री जी ध्यान देंगे और जो सुझाव मैंने दिए हैं, उन पर मंत्री जी विचार करके उस दिशा में अमल करेंगे ।

श्रीमन्, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Now, Mr. Ramanathan.

SHRI V. RAMANATHAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill because this Bill seeks to strengthen the Regional Rural Banks to help effectively the rural poor and also the agricultural people, particularly the people living in the rural areas. The living conditions of these[1] people are to be improved. Therefore, I welcome this j Bill. Now, Sir, rural unemployment hasgone up among the educated as well as the uneducated. Rural indebtedness is growing higher and higher and the problem of rural indebtedness cannot be solved unless some drastic and strong action is taken to safeguard the interests of the poor people in the rural areas. The social division in the economy also has increased and the gap is widening. The social set-up generates needs fcr all, but only a few are satisfied. Unless we take some drastic steps to raise the per capita income of the rural poor, unless rural indebtedness is rooted out, unless measures are taken to prevent the rural population from depending on private money-lending, and unless we make them earn at least to the extent of making both ends meet, any spending by the Government will be only on paper and the result will only be frustration among the rural population and if this frustration increases, it will one day burst resulting only in

[Shri V. Ramanathan]-

bloodshed and violence and, under such circumstances, no Government would be able to save the situation. The interests of the rural poor cannot be safeguarded at that stage. Therefore, we must see that this frustration does not increase. But now this frustration is slowly developing j_n the rural areas particularly among the youth, and a moral vacuum and value crisis are slowly emerging in the society today. They have begun to think that freedom itself is a privilege of the powerful and the State has become a powerful tool to safeguard the existing unjust social structure and situation. So we must bring them out of this frustration. We must impress upon them that we are only planning for a value based society where there will be definite demolition of domination and discrimination. To bring them out of poverty the per capita income has to be raised. This Bill seeks to increase the per capita income. Therefore, I welcome this Bill.

Regional rural banks must be distributed invariably almost to all areas, because unless the people are able to go and get money at a low rate of interest, they cannot solve their problems. And the opening of its branches should also be done in such a way as not to create regional imbalances. It must n°t *So* in competition with rural co-operative banks. The regional Rural Bank is mainly a lending bank. It may not be possible for that Bank to get deposits. Therefore, it may not be able to get resources unlike commercial banks. So the sponsor banks must see that this Bank has the necessary capital. Unless the capital comes there, unless they are able to provide loans to persons who are approaching them for loans, they cannot solve the problem.

Re-finance facility by the sponsor banks on the rate charged by NABARD may be adopted. Th funds deposited by the Region; Rural Banks must get a high interes not less than 10 per cent.. Then onl these banks can become viable.

Regarding the training of the pe: sonnel, the sponsor banks must tak proper care and attention, becikts they must be able to approach th rural people, they must find out thei problems, they must identify thei difficulties and they must go an help them in whatever way they cai We must educate them how they ca use these banks, and so on. There fore, their personnel must be traine in such a way that the purpose 1 view is achieved.

Further, the borrowers must I given loans With not many formal ties. If a villager goes to a bank, *b* is driven to go to the taluk, to village officers, and SQ on. It becomes diff cult for them. They find it dimcu to get even Rs. 2000 cr Rs. 300 Their property documents are ther With the help of these documen they must be able to provide thei loans. And when natural calamitk are there, they must give an opporti nity to the borrowers, some time 1 the borrowers. The cooperatives i the States are also helping the rur; population by wiping out their loan interest or penal interest and ^a that. But in the nationalised bani or rural banks they are not givin such facilities. Therefore the coop rative banks are not able to provic them as much loans as it is expecte of them by the rural populatio Then these banks come to help then They are not getting the facilitie Therefore, these regional banks mui also be given some authority or th Government must provide them sue facilities to safeguard the interests c the poor people when they meet wit natural calamities and they are nable to pay the loan in time. In sn* circumstances, they must be prepare to write off the loans. If they ar not able *to* write off the toal amount at least they can write off the pens

interest and some other interest. As 1: old you, the rural population is becoming economically weak. The gap is widening. The agricultural indebtedness is increasing. Unless some sort of help is given, the people there cannot come out of poverty. I want ^ to congratulate our Minister who is taking a lot of interest in giving these loan. There may be a lot of allegations that there are some political motive behind the loan rnelas. I do not want to go deep into this matter. Anyway, they are helping a lot. If there is no ptlities, it will be better, i The people are benefited and to that extent I congratulate him. Therefore, I welcome and support the Bill.

I would like to submit that the problem of indebtedness is making the rural people suffer. The moneylenders, small financiers and chit fund - holders are charging an interest of 60 per cent from the rural people. They charge Rs. 5/- per month *on* a lo£. n of Rs. 100/-. The interest rate cones to 60 per cent. These small moneylenders, so-called financiers and chit fund holders cheat the poor people. These chit fund companies have become cheating companies, i They are cheating the rural poor. Therefore, the Government must take all care to safeguard the rural people from the exploitation of these chi* fund people and financiers.

As, Mr. Nirmal Chatterjee sug gested, the Directors must also be from the rural poor. They know how the rural population is suffering. They know their condition better than the buraucrats and officersThey know how to get deposits and from whom. They know the people whom they have to distribute this money The people having experience of the rural areas may be appointed as Directors. The salary of the employees should be at par with the salaries of the employees in other banks, the nationalised banks, and the bigger banks. In bigger banks situated in big cities, the people or employees work in air-conditioned offices and they are enjoying all the facilities whereas the employees of the banks in rural areas have no educational facilities, medical facilities and other facilities. The interest of these employees must be safeguarded. They must be properly trained. They must be properly utilised and properly paid. Otherwise, this scheme will not be successful. If these measures are taken, then this scheme will become successful and will change the society. With these words, I welcome the Bill.

श्रीमती सुधा विजय जोशी (महाराष्ट्र): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं रीजनल रूरल बैंक्स (एमैन्डमेंट) बिल 1987 का समर्थन करना चाहती हूं ।

मान्यवर, हमारा भारत गांवों में बसता है। गरीब से गरीब लोग वहां रहते हैं। इन गरीबों को बैंक सेवा उपलब्ध करवा कर उनकी हालत में सुधार लाने की भावना से सन् 1975 में नरसिम्हन कमेटी ने आर० आर० बी० के निर्माण की जोरदार सिफारिश की थी । 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रगतिशील कदम श्रीमती इंदिरा गांधी ने उठाया और 1975 में आर० आर० बी० की स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में विकास की दृष्टि से इंदिरा जी ने प्रारम्भ की। महोदय आर० आर० बी० की आवश्यकता खासकर इसलिये महसूस की जाने लगी थी क्योंकि राष्ट्रीयकरण के 6 साल बाद भी कमर्शियल बैंक शहरों तक सीमित रहे और कोआपरेटिव्स बैंक ग्रामीण जनता तक पहुंचने के लिये कोई खास बदलाव अपने दृष्टिकोण में अपने कार्य करने के तरीकों में लाने में असमर्थ रहे । ऐसी हालत देहात की अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये खेती, व्यापार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। मान्यवर, 1980 के आखिर में 87 आर० आर० बी० काम कर रहे थे और उन्होंने 141 जिलों में अपनी शाखायें स्थापित की थी। 30 जून 1986 में 193 आर० आर० बी० गठित हुए और 341 जिलों में उनकी शाखायें स्थापित की गई। अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि 357 जिलों में इनकी शाखायें स्थापित की गई हैं। वैसे तो बहुत से जिले और बहुत से लोग बैंक सेवा का लाभ उठा रहे हैं। फिर भी

[श्री मती सुषमा विजय जोशी]

देश के सब जिले इससे कवर नहीं हुए हैं । इसलिये इन बैंकों का क्षेत्र और व्यापक करने इनको और बढ़ाने की सख्त जरूरत है । दूरदराज के पहाड़ी इलाके रेगिस्तान के इलाके आदिवासी इलाके और बहुत सारे जो पिछड़े हुए इलाके हैं इनमें इनकी शाखायें खुलनी चाहिए ताकि इन बैंकों की सेवायें उन लोगों तक भी पहुंचे जो कष्ट दायक जीवन व्यतीत करते हैं। जिनके लिये इन बैंकों का गठन किया गया है उन्हें पता भी नहीं होता कि इन बैंकों के जरिये किस प्रकार की सुविधायें प्राप्त की जा सकती हैं कर्जा लेने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है किस प्रकार बैंकों की मदद से वे अपने खेत व्यवसाय और छोटे उद्योगों को बेहतर बना सकते हैं । इसके लिये जरूरी है कि आर आर बी क्या काम करता है किस प्रकार की सहायता देता है इसका प्रचार होना चाहिए । प्रसिद्धि के हर तरीके को इसके लिये अपनाया जाय जिससे बैंकों की उपयोगिता की जानकारी, जिनको मदद की जरूरत है उन लोगों तक पहुंच सके और वे इन संस्थाओं [illegible] फायदा उठायें । कर्जा देने का प्रोसीजर भी सिम्पल और सीदासादा होना चाहिए जिसको अनपढ़, किसान और मजदूर आसानी से समझ सकें वहां पर अनेक प्रकार के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं अनेक प्रकार की औपचारिकतायें होती हैं फार्मेलिटीज होनी हैं । जहां तक हो सके ये फार्मेलिटीज कम की जाय या खत्म ही की जाय । नैसर्गिक आपत्ति से किसानों को नुकसान पहुंचा है । शार्ट टर्म-लोन को लांग टर्म लोन में बदला जाय । शादी ब्याह बच्चों की पढ़ाई मकान बनाने के लिये और यहां तक कि बीमारी के लिये ग्रामीण बैंक कर्जा देकर लोगों की मदद करें क्योंकि आज भी इन बातों के लिये गरीब हाली साहूकार के चंगुल में फंसा रहता है और ये साहूकार उनका खून चूस चूस कर उनके अस्तित्व को ही नष्ट कर डालते हैं ऐसी हालत में कम ब्याज लेकर बैंक इन्हें कर्जा देने के कार्य में आगे बढ़े ।

महोदय डिपोजिट टु एडवांस रेशियो 100:108 है । किसी भी फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में यह रेशियो अच्छा और ज्यादा है । एडवांस रिकवरी भी 75 प्रतिशत है । यह अत्यन्त ही ग्रहणीय चीज है । लेकिन मूलतः इन ग्रामीण बैंकों में डिपोजिट बहुत कम आते हैं और इसके कारण एडवांस भी कम दिये जाते हैं । इसलिये वह समय पर भी कर्जा नहीं दे पाते हैं । इस कारण [illegible] जरूरतमन्द लोगों की जरूरत पूरी नहीं होती । इसलिये आर आर० बी० के पास ज्यादा कैपिटल होनी चाहिए ताकि ये बैंक किसी और अन्य लोगों को समय पर कर्जा दे सकें । किसानों को खेत में बुआई करनी है खाद चाहिये तो उसके लिए आवश्यक पैसा बैंक से समय पर मिल जाएगा तो इससे किसान को उसका फायदा होगा लेकिन ग्रामीण बैंकों के पास खुद का पैसा बहुत कम होता है उन्हें पैसों के लिए नाबार्ड पर और सपोंसर बैंक्स पर निर्भर रहना पड़ता है । इस बिल के जरिये से सपोंसर बैंक को थोड़ा पोजिटिव रोल दिया गया है । इससे सपोंसर बैंक उनसे सपोंसर की हुई आर आर बी के काम का नियमित परीक्षण कर सकता है और इंटरनल आडिट तथा मानिटरिंग कर सकता है । आशा है इससे ग्रामीण बैंकों के कार्यों में थोड़ा सुधार होगा । लेकिन आर आर बी० और उनकी बहुत सी शाखाएं घाटे में चलती हैं । नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 1986 तक 191 आर आर बीज में से 141 आर आर बीज में 89.6 करोड़ का घाटा हुआ । दीर्घकालीन नीति तय करने के लिए सरकार ने एक स्टडी ग्रुप भी गठित किया था और उससे लगता है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज की आवश्यकता महसूस हो रही है । इस बिल के अनुसार आथॉराइज्ड कैपिटल एक करोड़ से पांच करोड़ तक बढ़ाई गई है और इश्यूड कैपिटल 25 लाख और एक करोड़ के दरम्यान रखी गई है । यह एक स्वागतयोग्य कदम है । इससे ग्रामीण बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार [illegible] के लिए मदद हो जायेगी । आर आर बीज का विकास पूरे देश में एक जैसा नहीं हुआ है । बहुत से रीजनल इम्बैलेंस हैं । नार्थ ईस्टर्न रीजन में 6 प्रतिशत आर०आर०बीज० और 3 प्रतिशत उसकी ब्रांचेज हैं पूरे देश में मकाबले में यह ब्रांचेज हैं तो अगले पांच से दस सालों तक नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । सिर्फ ज्यादा आर आर बीज गठित करके और ज्यादा

शाखाएं खोलकर के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का हल नहीं होगा इन बैंकों में जो काम करते हैं उन कर्मचारियों पर उसकी सफलता निर्भर है । उन्हें काम करना है एक बड़े असंगठित समुदाय के लिए गरीब अनपढ़ किसानों के लिए मजदूरों के लिए छोटे छोटे उद्योग-धन्धे करने वाले लोगों के लिए इसके लिए जरूरी है कि बैंक कर्मचारी उनकी समस्याओं को समझें उनके इलाके का उनको पूरा ज्ञान हो उस इलाके की आवश्यकताओं की मालुमात हो इसके लिए उन्हें एक खास दृष्टि चाहिये यह दृष्टि आएगी ट्रेनिंग से । ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले हर कर्मचारी को ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है लेकिन आज भी सब स्तरों पर सब कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं हो रही है उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है । करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है । कर्मचारियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता चिन्ता की बात है । उनमें इंस्टीट्यूशनल मोटीवेशन को विकसित करने की जरूरत है । बैंक कितने समाजोपयोगी हो सकते हैं वह समाजोपयोगी काम कर सकते हैं यह स्पष्ट रूप से उनके सामने रखने की आज आवश्यकता है । बैंकों में जो व्यवहार होते हैं उनमें से एक के लिए समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये और उसका पालन सख्ती से होना चाहिये और यह टाइम शेड्यूल्ड कर हर ब्रांच में लोगों के अवलोकनार्थ रखना चाहिये । जैसे हम कर्मचारियों से बेहतर सेवा चाहते हैं वैसे कर्मचारी भी कुछ चाहते हैं । ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को कमर्शियल बैंकों के कर्मचारियों के समान वेतन नहीं मिलता है । यह अन्याय है क्योंकि जो काम कमर्शियल बैंक्स के कर्मचारी करते हैं वही काम ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी भी करते हैं .। बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि ग्रामीण बैंकों में काम करना ग्रामीण इलाकों में काम करना ज्यादा कठिन है । इसलिए मैं चाहती हूं कि उन्हें समान वेतन मिलना ही चाहिये यह बड़ी आवश्यक बात है । बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज की पुनः रचना भी बिल में की गई है । मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि उसमें कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है । वैसे ही दो नान-आफिशियल डायरेक्टर्ज हैं उसमें किसानों का प्रतिनिधि होना चाहिये । बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज में कम से कम एक महिला होनी ही चाहिये । जबकि उसमें महिला होगी तो काम ज्यादा अच्छी तरह से सुगठित पद्धति से होगा । इसलिए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में किसानों, कर्मचारियों और महिलाओं के प्रतिनिधि आवश्यक हैं । इतना कहकर मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करती हूं । धन्यवाद ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री एच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए] **श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान** (आन्ध्र प्रदेश): जनाब वाइस चेयरमैन साहब हम सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान देहात में रहता है और हुकूमत भी यह अच्छी तरह से जानती है कि हिंदुस्तान देहात में रहता है । हिंदुस्तान की 70 करोड़ आबादी में से 52 करोड़ लोग देहात में रहते हैं चुनांचे इन्हीं बातों को पेशेनजर रखते हुए 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था और यह जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था यह-यह समझकर किया गया था कि आम आदमी को इससे फायदा होगा । उससे पहले देखा यह गया था कि जो बैंकों की सूरतेहाल थी उसमें सिर्फ बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स सनतकार और बड़े बड़े सरमायेदार ही फायदा उठाते थे इस वजह से यह समझा गया कि बैंकों को नेशनलाइज करने के बाद आम आदमी भी इनसे पूरा पूरा फायदा उठायेगा । मगर मुझे इंतिहाई अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि पालिसीज के गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बैंक नेशनलाइजेशन से जो फायदा होना चाहिए था उस किस्म का फायदा इस वक्त देश में नहीं हो रहा है, चुनांचे इन्हीं बातों को पेशेनजर रखते हुए गवर्नमेंट सन् 1976 ई० में रीजनल रूरल बैंक एक्ट लेकर आई । इसका मकसद यही था कि देहात में रहने वाली आबादी को ऊपर उठाया जाये । जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, देहात में जो लोग रहते हैं उनमें से तकरीबन 80 फीसदी लोगों का पेशा जराअत है । इसके अलावा बढ़ई हैं लोहार हैं तथा और भी दूसरे पेशे अंजाम देने वाले लोग हैं जो देहात में रहते हैं । ये लोग अपनी मेहनत की कमाई से जो फरोख्त करते हैं बाजार में बेचते हैं तो इंतिहाई सस्ते दामों पर उसको बेचते हैं । फिर कोई चीज जब [illegible] खरीदते हैं तो उसके लिए उनको का फ

[श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान]

महंगे दाम अदा करने पड़ते हैं । जब वे कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो पहले सूरतेहाल यह थी कि खानगी लोगों से, जो काफी बड़े सूद पर पैसा देते थे, उनको पैसा हासिल करना पड़ता था और असल से ज्यादा उनको सूद अदा करना पड़ता था । इस तरह से उनके उत्पादन का जो कुछ भी कीमती सरमाया होता था वह सिर्फ सूद में ही खत्म हो जाया करता था । इसलिए इन चीजों को पेशेनजर रखते हुए रीजनल रूरल बैंक एक्ट लाया गया था इसका मकसद यह था कि गरीब किसान और देहात में रहने वाले गरीब लोग खानगी सूद पर पैसा देने वालों के चंगुल से बचें और इंतिहाई आसान शरा सूद पर बैंकों से पैसे हासिल करें और अपने पेशे में ख्वाह वो जरात हो या कोई और पेशा हो उसमें उसको लगायें तथा अपने पेशे में तरक्की करें । असल इसका मकसद यही था । मगर तकरीबन दस साल गुजरने के बाद भी यह देखा गया है कि रीजनल रूरल बैंक से वक्तन इस कदर फायदा हासिल नहीं हुआ है जितना कि हासिल होना चाहिए था । इसी बात को पेशेनजर रखते हुए हमारी पार्टी के यहां राज्य सभा में जो लीडर श्री उपेन्द्र साहब हैं उन्होंने गुजिश्ता सेशन में यानी 24 अगस्त 1987 ई० का एक स्पेशल मेंशन पेश किया था और उसमें यह था कि रीजनल रूरल बैंक जो हैं उस पर काफी गौर करना चाहिए और काफी मेनेजमेंट लाने चाहिएं ताकि जिन एम्स एंड आबजेक्ट्स के लिए यह रीजनल रूरल बैंक कायम किये गये हैं उनके एम्स एंड आबजेक्ट्स पूरे हों ।

मुझे खुशी हो रही है कि इस ऐवान में यानि इस सेशन में यह अमेंडमेंट के लिए लाया गया है । खुशी की बात है और मैं इस पूरे बिल की ताईद करता हूं मगर साथ ही साथ मैं यहां कुछ सजेशंस मोअज्जिज मिनिस्टर साहब की खिदमत में देना चाहता हूं ।

वह यह है कि जो कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं ख्वाह वह कमर्शियल बैंक की हों, ख्वा वह रूरल बैंक की हों कई लोग देहात में इससे वाकिफ नहीं हैं, जैसा कि अभी हमारी मोअज्जिज मेम्बर साहिबा ने कहा कि इसकी बराबर पब्लिसिटी नहीं हो रही है । हमको पब्लिसीटी के लिए काफी गौर करना चाहिए और इसकी अच्छी पब्लिसिटी करनी चाहिए और आवाम को यह मालूम होना चाहिए कि रीजनल रूरल बैंक किस वजह से कायम किये गये हैं इसका मकसद क्या है किस तरह से वह अवाम की मदद करते हैं ।

इन बातों को आवाम को मालूम करवाना चाहिए ताकि गरीब किसान जो तकरीबन सभी पढ़े-लिखे नहीं होते उनको मालूम हो सके और वह बैंक से ज्यादा से ज्यादा इस्तफादा हासिल कर सकें ।

दूसरी बात यह है कि इस बैंक के फाइनेंसेज बढ़ाने के लिए उसके शेयरहोल्डर्स जो हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक और नेबार्ड को अपना मुसबत रोल अदा करना चाहिए और इस अंदाज में इसके शेयरहोल्डर्ज को काम करना चाहिए कि वह यह समझें कि हमको देहात में रहने वाले आवाम को उठाना है, उनके हालाते-जिंदगी को बेहतर बनाना है, इस मकसद को सामने रखते हुए, यह नहीं कि फायदा कमाने की नीयत से, नहीं, मगर खिदमत के जज्बे को सामने रखते हुए पूरे शेयरहोल्डर्ज को अपना रोल अदा करना पड़ेगा ।

अभी जो बात यहां आई—यहां के डाइरेक्टर्ज के नामिनेशन की, उसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसे दो नान-आफिशल डाइरेक्टर्ज को नामिनेट करने का हक दिया गया है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दो नान-आफिशल डाइरेक्टर्ज आमजद करने का हक नहीं दिया जाए ? मेरी यह दर्खास्त है मोअज्जिज मिनिस्टर साहब से कि स्टेट गवर्नमेंट को भी यह हक दिया जाए कि दो गैर-सरकारी डाइरेक्टर्ज को नामिनेट करें ।

इसके अलावा अभी जैसा कि कहा गया कि लोकल बाडीज का भी एक रेप्रेजेंटेशन

उसमें होना चाहिए और जिला परिषद् का हो, या पंचायत मंडल का हो, या ग्राम पंचायतों का हो, कुछ भी हो, यकीनन लोकल बाडीज़ का भी, नुमाइंदा उसमें होना चाहिए।

फिर साथ ही साथ जैसा कि मेरी बहिन अभी कह रही थी कि लेडीज़ की भी एक नुमाइंदगी बेहद जरूरी है और मेरी त्वक्की है कि हमारे मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे। (समय की घंटी) मैं अभी दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं।

अब आप मुलाज़मीन की हालाते-जिंदगी, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि रीजनल रूरल बैंक में जो मुलाज़मीन काम करते हैं, यह मुलाज़मीन किन हालात में देहातों में जाकर काम करते हैं। शहर में काम करना या कस्बे में काम करना एक बात है। मगर गांव में जाकर इन मुलाजमीन का काम करना वाकयतन बड़ी हिम्मत की बात है इस वजह से हमको भी उनकी पूरी हिम्मत अफज़ाही करनी चाहिए। उनके बच्चों के लिए तालीम का खास इंतजाम नहीं होता, उनके लिए तिब्बी इमदाद की कोई सहूलियत नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि उनकी तनख्वाहें भी, जो दूसरे कमर्शियल बैंक की तनख्वाहें हैं, उनके बराबर करनी चाहिएं। जब एक ही किस्म का काम वह करते हैं कामर्शियल बैंक के लोग और वही किस्म का काम दूसरे लोग करते हैं तो इनकी तनख्वाह में फर्क क्यों। इनकी तनख्वाह कम क्यों है और उनकी तनख्वाह ज्यादा क्यों है। मैं अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। हमारे जिले में रूरल बैंक में काम करने वाले लोगों के पे-स्केल कुछ हैं और दूसरे जिले में काम करने वाले लोगों के पे-स्केल कुछ और हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके पे-स्केल में यूनिफार्मिटी हो। तनख्वाहें बराबर मिलें। जो कामर्शियल बैंक के एम्पलाइज की तनख्वाह हैं वही दूसरों को मिलनी चाहिए।

अगली बात में यह अर्ज करना चाहता हूं कि एम्पलाइज की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी बैंक में 44 हजार लोग काम कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 29 हजार मुलाजमीन को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यह जरूरी है कि जिस मकसद के लिए जिस काज के लिए बैंक में काम कर रहे हैं उसके तहत जरूरी हैं उनको परोपर ट्रेनिंग दी जाये। जब तक परोपर ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती हैं उस वक्त तक उनका मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। इन्हीं चन्द अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रियादा करता हूं।

†[شری محمد خلیل الرحمان]

(آندھرا پردیش) : جناب وائس چیرمین صاحب - ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان دیہات میں رہتا ہے اور حکومت بھی یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ہندوستان دیہات میں رہتا ہے - ہندوستان کی ستر کروڑ آبادی میں سے باون کروڑ لوگ دیہات میں رہتے ہیں - چنانچہ انہیں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ۱۹۶۹ میں بینکوں کو نیشنلائز کیا گیا تھا - اور یہ جو بینکوں کا نیشنلائزیشن کیا گیا تھا کہ عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا - اس سے پہلے دیکھا یہ گیا تھا کہ جو بینکوں کی صورتحال تھی اسمیں صرف بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ صنعتکار اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہی فائدہ اٹھاتے تھے - اس وجہ سے یہ سمجھا گیا تھا کہ بینکوں کو نیشنلائز کرنے کے بعد عام آدمی بھی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیگا - مگر مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا

†[ ] Translation in Arabic script.

[شری محمد خلیل الرحمان]

ہے کہ پالیسیز کے غلط امپلیمنٹیشن کی وجہہ سے بینک نیشنلائزیشن سے جو فائدہ ہونا چاہئیے تھا اس قسم کا فائدہ اس وقت دیہی میں نہیں ہو رہا ہے - چنانچہ انہیں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ سنہ ۱۹۷۶ء میں ریجنل رورل بینک ایکٹ لیکر آئی - اسکا مقصد یہی تھا کہ دیہات میں رہنے والی آبادی کو اوپر اٹھایا جائے - جیسا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں سے تقریباً ۸۰ فیصدی لوگوں کا پیشہ زراعت ہے - اسکے علاوہ بڑھئی ہیں - لوہار ہیں - اور بھی دوسرے پیشے انجام دینے والے لوگ ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں - یہ لوگ اپنی محنت کی کمائی سے جو فروخت کرتے ہیں - بازار میں بیچتے ہیں - تو انتہائی سستے داموں پر اسکو بیچتے ہیں - پھر کوئی چیز جب وہ خریدتے ہیں تو اسکے لئے انکو کافی مہنگے دام ادا کرنے پڑتے ہیں - جب وہ قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں - تو پہلے صورتحال یہ تھی کہ خانگی لوگوں سے - جو کافی سود پر پیسہ دیتے تھے - انکو پیسہ حاصل کرنا پڑتا تھا اور اصل سے زیادہ انکو سود ادا کرنا پڑتا تھا اس طرح سے انکے اتو دن کا جو کچھ بھی قیمتی سرمایہ ہوتا تھا وہ صرف سود میں ختم ہو جایا کرتا تھا - اسلئیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے "ریجنل رورل بینک ایکٹ" لایا گیا تھا - اسکا مقصد یہ تھا کہ غریب کسان اور دیہات میں رہنے والے غریب لوگ خانگی سود پر پیسہ دینے والوں کے چنگل سے بچیں اور انتہائی آسان شرح سود پر بینکوں سے پیسے حاصل کریں اور اپنے پیشے خواہ وہ زراعت ہو یا کوئی اور پیشہ ہو اسمیں اسکو لگائیں - اور اپنے پیشے میں ترقی کریں - اصل اسکا مقصد یہی یہی تھا - مگر تقریباً دس سال گزرنے کے بعد بھی دیکھا گیا ہے کہ ریجنل رورل بینک" سے واقعتاً اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے جتنا کہ حاصل ہونا چاہئیے تھا - اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری پارٹی کے یہاں راجیہ سبھا میں جو لیڈر شری ایبادر صاحب ہیں - انہوں نے گزشتہ سیشن میں یعنی ۲۴ اگست ۱۹۸۷ء کو ایک اسپیشل میشن کہا تھا - اور اسمیں یہ تھا کہ ریجنل رورل بینک جو ہیں - اس پر کافی غور کرنا چاہئیے تھا اور کافی میٹجمنٹ نے چاہئیے تاکہ جن ایمس اینڈ آبجیکشن کے لئے یہ ریجنل رورل بینک قائم کئے گئے ہیں - انکے ایمس اینڈ آبجیکٹس پورے ہوں -"

مجھے خوشی ہو رہی ہے - کہ اس ایوان میں پہلی اس سیشن میں یہ امنڈمنٹ کیلئے لایا گیا ہے - خوشی کی بات ہے اور میں اس پورے بل کی تائید کرتا ہوں مگر ساتھ ھی ساتھ میں یہاں کچھ سجیشنس معزز منسٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاھتا ہوں -

وہ یہ ہے کہ جو کچھ گورنمنٹ کی فیسی الیز ہیں - خواہ وہ کمرشیل بینک کی ہوں - خواہ وہ رورل بینک کی ہوں - کئی لوگ دیہات میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ ابھی ہماری معزز ممبر صاحبہ نے کہا کہ اسکی برابر پبلسٹی نہیں ہو رہی ہے - ہمکو پبلسٹی کیلئے کافی غور کرنا چاھئے - اور اچھی پبلسٹی کرنا چاھئے - اور عوام کو یہ معلوم ہونا چاھئے کہ ریجنل رورل بینک کس وجہہ سے قائم کئے گئے ہیں اسکا مقصد کیا ہے - کس طریہ سے وہ عوام کی مدد کرتے ہیں -

ان باتوں کو عوام کو معلوم کروانا چاھئے - تاکہ غریب کسان جو تقریباً سبھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے - انکو معلوم ہو سکے اور وہ بینک سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں -

دوسری بات یہ ہے کہ اس بینک کے فائنینسز بڑھانے کیلئے سے شیئر ہولڈرز جو ہیں - یعنی سینٹرل گورنمنٹ - اسٹیٹ گورنمنٹ - کمرشیل بینک اور نابارڈ کو اپنا مناسب رول ادا کرنا چاھئے اور اس انداز میں اسکے شیئر ہولڈرز کا کام کرنا چاھئے - کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمکو دیہات میں رہنے والے عوام کو اٹھانا ہے انکے حالات زندگی کو بہتر بنانا ہے - اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے - یہ نہیں کہ فائدہ کمانے کی نیت سے - بلکہ خدمت کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے - پورے شیئر ہولڈرز کو اپنا رول ادا کرنا پڑیگا -

ابھی جو بات یہاں آئی یہاں کے ڈائریکٹرز کے نامینیشن کی - اسمیں یہ کہا گیا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے - اسے دو نان آفیشیل ڈائریکٹرز کو نامینیٹ کرنے کا حق دیا گیا ہے -

میں پوچھنا چاھتا ہوں کہ کیوں اسٹیٹ گورنمنٹس کو بھی ودنان آفیشیل ڈائرکٹرز نامزد کرنے کا حق نہیں دیا جائے - میری یہ درخواست ہے معزز منسٹر صاحب سے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی یہ حق دیا جائے کہ دو غیر سرکاری ڈائریکٹرز کو نامینیٹ کریں -

اسکے علاوہ ابھی جیسا کہ کہا گیا کہ لوکل باڈیز کا بھی ایک ریپریزینٹیشن اسمیں ہونا چاھئے اور

[شری محمد خلیل الرحمان]

ضلع پریشد کا ہو - یا پنچایت سمتی کا ہو - یا گرام پنچایتوں کا ہو - کچھ بھی ہو - یقیناً لوکل باڈیز کا بھی نمائندہ اسمیں ہونا چاہئیے -

پھر ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میری بہن ابھی کہہ رہی تھیں کہ

لیڈیز کی بھی ایک نمائندگی بیحد ضروری ہے اور مجھے توقع ہے کہ ہمارے منسٹر صاحب اس پر غور کریں گے (سنٹے کی گھنٹی) میں ابھی دو منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں -

اب آپ ملازمین کی حالت زندگی - جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ریجنل رورل بینکس جو ملازمین کام کرتے ہیں - یہ ملازمین کن حالات میں دیہاتوں میں جاکر کام کرتے ہیں - شہر میں کام کرنا یا قصبہ میں کام کرنا ایک بات ہے - مگر گاؤں میں جاکر ان ملازمین کا کام کرنا واقعتاً بڑی ہمت کی بات ہے - اس وجہہ سے ہمکو بھی انکی پوری ہمت افزائی کرنی چاہئیے - ان کے بچوں کیلئے تعلیم کا خاص انتظام نہیں ہوتا - انکے لئے طبی امداد کی کوئی سہولیت نہیں ہوتی اسلئے یہ ضروری ہے کہ انکی تنخواہیں بھی جو دوسرے کمرشیل بینک کی تنخواہیں ہیں - انکے برابر کرنی چاہئیے - جب ایک ہی قسم کا کام وہ کرتے ہیں کمرشیل بینک کے لوگ اور وہی قسم کا کام دوسرے لوگ کرتے ہیں تو انکی تنخواہ میں فرق کیوں - انکی تنخواہ کم کیوں ہے - اور انکی تنخواہ زیادہ کیوں ہے - میں اپنے راجیہ آندھرا پردیش کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا - ہمارے ضلع میں رورل بینک میں کام کرنے والے لوگوں کے پے اسکیل کچھ اور ہیں اور دوسرے ضلع میں کام کرنے کے لوگوں کے پے اسکیل کچھ اور ہیں - میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انکے پے اسکیل میں یونیفارمٹی ہو - تنخواہیں برابر ملے - جو کمرشیل بینک کے امپلائز کی تنخواہیں ہیں وہی دوسروں کو ملنی چاہئیے -

اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امپلائز کو ٹریننگ دی جاتی ہے - ابھی بینک میں ۴۴ ہزار لوگ کام کر رہے ہیں انمیں سے ۲۹ ہزار ملازمین کو ٹریننگ دی جا چکی ہے - یہ ضروری ہے کہ جس مقصد کیلئے جس کاز کیلئے بینک میں کام کر رہے ہیں اسکے تحت ضروری ہے انکو برابر ٹریننگ دی جائے - جب تک برابر ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے اس وقت انکا

مقصد پورا نہیں ہو سکےگا - انہی چند الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں -]

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात आदरणीय दिवंगत नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों के साथ प्रारम्भ करता हूं। उन्होंने कहा था "हमारी विशाल और विविधतापूर्ण जनता के किसी भी भाग को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे भुला दिया गया है। उनकी उपेक्षा से हम सब का नुकसान होगा।" 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्र के नाम प्रसारित सन्देश में देशवासियों से अपील की थी कि वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सामाजिक व लोकतंत्रीय प्रयोग को सफल बनाने में सहयोग करें और उन्होंने कहा था।

"हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारी गरीब जनता की भलाई और उसकी उन्नति है। हर समय हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनका जीवन जल्दी से जल्दी सुखद हो"।

अब जब हम इंदिरा जी की आवाज़ नहीं सुन सकते, वह हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनके शब्द सदा हमारे साथ रहेंगे, हमारे कानों में गूंजते रहेंगे।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की इस मजबूत बुनियाद पर 1976 में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई और अपने उद्देश्यों में लगातार सफलता प्राप्त करते हुए आज हम अपने अनुभवों के आधार पर तथा गरीब किसानों, मजदूरों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए यह संशोधन बिल पारित करने जा रहे हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए 1975 के प्रारम्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने की नरसिम्हा ग्रुप ने सिफारिश की थी। इसकी स्थापना से पूर्व यह अनुभव किया गया कि वाणिज्य बैंक, ग्रामीण क्षेत्र की जनता की आवश्यकतानुसार ऋण एवं अन्य बैंकिंग सुविधाएं नहीं प्रदान कर सकते। चूंकि राष्ट्रीयकरण के लगभग 7 वर्ष पश्चात् भी वाणिज्य बैंकों ने अपनी शहरी पहुंच को ही ध्यान में रखा एवं वे ग्रामीण की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। उनका कार्य करने का ढंग एवं वे सोचने के ढंग भी पूर्ण रूप से शहरी थे।

इसके साथ यह भी अनुभव किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना से क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान सरलता से हो सकेगा एवं कमजोर वर्गों और ग्रामीण जनता को सरलतापूर्वक कम ब्याज पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी इसकी स्थापना के पीछे एक यह भी उद्देश्य था कि ग्रामीण ऋण की कीमत भी कम हो, खर्च भी कम हो सके।

आज देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अनेक शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत में विकास और समृद्धि का ताना-बाना बुना जा रहा है। गांव की भोली भाली जनता को साहूकार की गुलामी से इन प्रयासों से बचाया है।

आदरणीय मंत्री श्री जनार्दन पुजारी ने बताया कि 23 राज्यों में 357 जिलों में 196 बैंक हैं और 13,000 बैंक शाखाएं हैं। उनमें 1763 करोड़ रुपये धन की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार 1846 के ऋण प्रदान किये जा चुके हैं। इस संशोधन के द्वारा बैंक के संगठन को आवश्यकतानुसार एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। मुख्य अधिनियम की धारा 6(1) प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ट्रेनिंग, स्टाफ, रखरखाव व अन्य खर्चे आदि के लिए जारी 25 लाख से 1 करोड़ के निर्धारित पूंजी-निवेश की जगह एक करोड़ से पांच करोड़ रखना, प्रायोजक बैंक से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करना एवं प्रबंधकीय व वित्तीय सहायता प्रदान करने से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक नया स्वरूप सामने उभर कर आएगा। क्रम संख्या 8 पर धारा-11 की मुख्य अधिनियम में उपधारा 1—ए

[श्री सुरेश पचौरी]

पर प्रावधान "केन्द्र सरकार" के स्थान पर "आंग्रणी बैंक" रखने की बजाय मैं अनुरोध करूंगा कि यह अधिकार केवल "केन्द्र सरकार" में ही निहित होना चाहिए, जैसा पूर्व से है। अतः अध्यक्ष की नियुक्ति केवल केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा मैं मानता हूं। जहां तक प्रतिनिधियों का प्रश्न है. बोर्ड आफ डायरेक्टरस का प्रश्न है, तो निस्संदेह मैं भी इसी बात से सहमत हू कि बोर्ड आफ डायरेक्टरस का चयन करते समय ग्रामीण अंचल के प्रतिनिधियों को इसमें लिया जाना चाहिए। चूंकि बहुत कुछ समस्याएं नौजवानों को फेस करना होती हैं, बेरोजगारों को ऋण दिलाने के लिए बैंक के दरवाजे पर दस्तक देनी होती है। अतः मेरा अनुरोध है कि जब बोर्ड आफ डायरेक्टरस का आप चयन करने जायं तो उसमें प्राथमिकता नौजवानों का भी दें।

महोदय, बैंक किसी विचार विशेष के लिए नहीं है बल्कि वे बिना किसी भेदभाव के सबको आर्थिक सहायता के लिए होते हैं। यदि किसी स्थान विशेष पर लोन मेला आदि का आयोजन होता है तब उसका लाभ सबको होता है, विशेष रूप से जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं और किसी विचारधारा के भी हैं। उसमें जो चयन होता है वह गुप्त मतदान से होता है, इसलिए यह व्यवस्था जो लागू की गई है. वह भी एक सराहनीय कदम है।

महोदय ग्रामीण विकास के बिना हम देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार नहीं ला सकते और इसी महत्वपूर्ण सकल्प में जब हम आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने, उसे गरीबी रेखा स ऊपर उठाने के प्रयासों को समन्वित विकास कार्यक्रम एन०आर०ई०पी०, आई०आर०डी०पी०, लीड बैंक आदि द्वारा पूरा करने की योजना बनाते हैं, ठीक उसी कदम पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी एक अहम भूमिका होनी है जो छोटे सीमांत कृषक और अन्य हस्त कलाकारों को ऋण सुविधा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। मान्यवर जहां तक ऋण प्राप्त करने का प्रश्न है. हमने आशातीत सफलता प्राप्त की है, परन्तु जब ऋण वापिस करने की बात शुरू होती है तो बड़े निराशाजनक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। बैंकों से ऋण प्राप्त करने वालो की मानसिकता ऋण वापिस करने की दिशा में लगभग वापिस न करने की होती है। अगर ऋण लेकर हमने वापिस नहीं पहुंचाया तो अन्य लोगों को हम किस प्रकार यह सुविधा प्रदान कर सकेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दिनों पहले एक राज्य में चुनाव हुये और चुनाव के दौरान यह नारा दिया गया - "तुम कर्ज लेकर घर में बैठो, मैं उसे पूरा माफ कर दूंगा।" आज कर्जे को इस राजनीति ने समूचे परिवेश के सामने एक प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है। यह हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये खतरे का घंटी है। आज कुछ अन्य प्रदेशों में भी यह एक ओर हम बैंकों के माध्यम से स्व-रोजगार की कई योजनायें चला रहे हैं, ऋण मेलों का आयोजन कर छोटे-छोटे किसानों, मजदूरों, खेतिहरों आदि को लघु उद्योगों में लगाकर एक नई शुरूआत कर रहे हैं, वहीं ये विरोधी दल वाले प्रचारित कर रहे हैं- "ये कर्जे देंगे, तुम इनसे कर्ज ले लो, हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे।" . (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : (उत्तर प्रदेश) अमीरों का ही माफ होता रहे, उद्योगपतियों का होता रहे, मगर किसानों का हुआ तो (व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी : आने वाला समय इस हल्की लोकप्रियता के लिये उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कर्ज लेने के साथ यदि हम समय पर कर्ज वापिस करने की मानसिकता नहीं बना पाये तो मेरा ऐसा विचार है कि हमारी योजनाओं का ढांचा एकदम लड़खड़ा जायगा। विकास की अवधारणा समाप्त हो जायेगी। बैंकों की सारी मशीनरी यदि पैसा वापिस कराने पर केन्द्रित हो गई तो बैंकिंग के मूल उद्देश्य को जनता तक पहुंचायेगा कौन ? इस बात पर सहज ही

विचार किया जा सकता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि केन्द्र इस मामले में सीधे कोई कानून बनाये ताकि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को किसी प्रकार का मौका न मिल सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य गरीब किसानों को आर्थिक सुविधा उपलब्ध करा कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का है। सीमांत किसान भूमिहीन किसान बटवारा कृषक, हथकरघा कारीगर, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लाभार्थियों को अलग-अलग वर्गीकृत कर ऋण देने का प्रावधान रखा गया हैं। गांव के इन्हीं छोटे लोगों के रूप में हमारे देश की अधिकांश जनता अपना जीवन निर्वाह कर रही है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने उनके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत की हैं। उप-सभाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मेरा यह सुझाव है कि यह देखा गया है कि बैंक कर्म-चारियों और अधिकारियों का आम जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। इस प्रकार की कई शिकायतें मिलती है। हम आर०आर०बी० बैंकों को प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता देने जा रहे हैं। कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान है। मान्यवर, उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये जिससे वे ग्रामीण जनता की कठि-नाइयों को अच्छे ढंग से समझ सकें और उनके मार्गदर्शक बन सकें।

मान्यवर, बैंकों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। गरीबों को दिये जाने वाले कर्ज में से कुछ शेअर बैंक कर्मचारी ले लेते हैं। साथ ही ऋण देने में भी काफी देरी करते हैं। मान्यवर, यदि जरूरतमंदों को समय पर ऋण नहीं मिलेगा तो जिस उद्देश्य से बैंक की स्थापना की गयी है वह उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इसलिये समय रहते इन समस्याओं के निराकरण के लिये ठोस उपाय ढूंढने बहुत जरूरी है। मान्यवर, बैंक अधि-कारियों और व्यापारियों की मिली भगत में बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। ऐसा मेरा विचार है। लोगों को एक खास आदमी की दुकान से सामान लेने के लिये बाध्य किया जाता है। और कर्ज लेने वाला इस बात के लिये तैयार हो जाता है। इसलिये इस बात को भी चेक करना जरूरी है क्योंकि इस

अवधारणा से डुप्लीकेट माल में बहुत बढ़ोतरी हुई है। सरकारी बैंकों के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि उनमें भी काफी भ्रष्टाचार है। उनमें भी भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें मिल रही हैं। मान्यवर, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, इसलिये मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों के बारे में स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वहां कार्य प्रणाली और दूसरी तरह की अनेकानेक शिकायतें मिली हैं। आज गरीबों को बैंक सुविधा की पूरी जानकारी नहीं है। हमारे प्रचार-प्रसार के साधनों–रेडियो, दूरदर्शन द्वारा इस बात को बताया जाना बहुत जरूरी है कि बैंकों द्वारा आम जनता की भलाई को मद्दे नजर रखते हुये उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिये कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की जा रही है। इन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं। इस बात की जानकारी आम जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है।

मान्यवर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्म-चारियों की सेवा स्थिति में सुधार लाना भी जरूरी है। उन्हें समय-समय पर उचित शिक्षा देना भी जरूरी है। ऋण के भुगतान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूरा सहयोग प्रदान करना भी बहुत जरूरी है। मान्यवर हमारे वित्त राज्य मंत्री पुजारी जी एक सुयोग्य और कर्मठ मंत्री हैं। उनके मन में गरीब तबके लोगों के लिये तड़फ है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री पुजारी जी के निर्देशन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है उसके संतोषजनक और आशाजनक परिणाम निकलेंगे। मान्यवर मेरा एक सुझाव यह भी है कि वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों की जो शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उन्हें भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सौंप दिया जाय ताकि अनावश्यक कार्य न हो। साथ ही समय-समय पर स्पोंसर्ड बैंकों के खातों का निरीक्षण एवं उनके कार्यों का अवलोकन करना भी आवश्यक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लगातार निरीक्षण एवं सही नियंत्रण से लाभांश में भी वृद्धि होगी और हम अपने उद्देश्य में भी सफल हो सकेंगे। ऐसा मेरा विचार है और ऐसी मेरी मान्यता है।

[श्री सुरेश पचौरी]

इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सदन में प्रस्तुत रीजनल रूरल बैंक एमेंडमेंट बिल 1987 का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदय यह रीजनल रूरल बैंक 1976 में स्थापित हुये थे । इस बिल के अन्दर यह संतोष की बात है कि इसमें बैंक की पूंजी बढ़ाने प्रबंध में सुधार करने और बैंकों के एमलगमेशन का प्रबंध इसमें किया गया है । यह अच्छे कदम हैं लेकिन देखने को यह मिलता है कि 1976 के बाद बैंकों की स्थापना के बाद यद्यपि बैंकों का विस्तार हुआ है, उन का कवरेज बढ़ा है, जमा राशि भी बढ़ी है, अग्रिम राशि भी काफी मात्रा में गरीबों को दी गयी है, लेकिन बैंकों को जितनी तरक्की करनी चाहिये, जितनी सफलता उनको मिलनी चाहिये उतनी सफलता इन रीजनल रूरल बैंकों को नहीं मिली है । यह बैंक इसलिये स्थापित किये गये थे ताकि गांवों में जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो शिल्पी हैं, जो गृह उद्योग में लगे हैं उनको अधिक से अधिक सहायता इन बैंकों के द्वारा मिले । यह पाया गया था 1976 के दरम्यान कि पहले जो सहकारी समितियां थीं उन पर धनिक किसानों का कब्जा हो गया है और राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं वे आम तौर पर गांवों में सिर्फ डिपाजिट करते हैं और रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है कि जमा राशि का 60 परसेंट वह गांवों में इंवेस्ट करेंगे वह उसमें विफल रहे हैं । इसलिये इस प्रकार के बैंकों की स्थापना की बात उस समय सोची गयी थी । अब 12 वर्ष के बाद हम क्या पाते हैं । हम पाते यह है कि अभी भी यह बैंक जो 163 या 183 रीजनल बैंक स्थापित हुये हैं उनका कवरेज यदि हम देखें तो पाते हैं कि 88 बैंक एक जिले को कवर करते हैं, 67 बैंक दो जिलों को कवर करते हैं और 22 बैंक 3 जिलों को कवर करते हैं और 5 बैंक चार जिलों को कवर करते हैं । अभी पूरे देश में 357 जिलों में ही यह बैंक हैं जब कि देश में 436 जिले हैं । लिये काफी ऐसे जिले हैं जिनमें यह बैंक अभी तक स्थापित नहीं हुये हैं ।

दूसरी बात इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बैंक इस लिये स्थापित हुये थे कि गांवों में गरीबों को कर्ज दिया जायेगा और जो गांव के सूदखोर महाजन हैं जिनके चंगुल में गांव के किसान हैं उनके खूनी पंजे से उन गरीबों को मुक्त किया जायेगा । हम को देखना यह है कि इस लक्ष्य की पूर्ति में यह बैंक कहां तक सफल हुये हैं । अभी रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक रैंडम सैंपुल सर्वे कराया था 1982 में और उस की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और वह मंत्री महोदय के पास होगी । उस रिपोर्ट में हम पायेंगे कि गांवों के अन्दर इंस्टीट्यूशनल कर्ज 63 प्रतिशत है और नान-इंस्टीट्यूशनल कर्ज 37 परसेंट है । इस का सब से दुखद पहलू यह है कि 5000 से एक लाख तक कर्ज की सीमा रखने वाले जो लोग हैं जो मुख्यतः आदिवासी हैं, मुख्यतः हरिजन हैं वह 91 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक कर्ज उन्हीं नान-इंस्टीट्यूशनल संस्थाओं से पाते हैं यानी सूदखोरों के चंगुल से उनको मुक्त कराया जाए । लेकिन लगता यह है कि 12 वर्ष की उनकी कार्यावधि के दौरान अभी तक यह बैंक उन लोगों को सूदखोर महाजनों के चंगुल से मुक्त नहीं करा सके हैं ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर आदिवासियों के 199 जिले हैं, लेकिन अभी तक केवल 92 जिलों में ये रूरल रीजनल बैंक स्थापित हो पाये हैं । नार्थ ईस्टर्न रीजन में इनकी संख्या बहुत ही नगण्य है । इन बैंकों से अभी तक केवल 62 लाख लोगों को ही कर्ज मिल पाया है । यह इस बात को इंगित करता है कि रीजनल बैंकों का जो उद्देश्य था उस की पूर्ति में ये अभी तक सफल नहीं हो पाये हैं । मैं इस संबंध में सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार अगर चाहती है कि गांवों में सूदखोरों से, महाजनों से कमजोर वर्ग, हरिजन, छोटे छोटे किसान, आदिवासी, सीमान्तक किसान, शिल्पी और छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले जो लोग हैं, उन को बचाना चाहती है, तो जरूरत इस बात की है कि रीजनल बैंकों की जो शाखायें हैं उन-का विस्तार किया जाये । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह सुझाव दिया है कि कमर्शल

प्रक 17 हजार की जनसंख्या पर खोला जाना चाहिये । क्यों नहीं सरकार इस संख्या के आधार पर रीजनल रूरल बैंक की शाखायें खोलती है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि ये बैंक जो कर्ज देते हैं उसमें से बहुत ही कम पैसे की वसूली हो पाती है । रीजनल रूरल बैंकों पर जो स्टडी टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके अनुसार रीजनल बैंकों का जो कर्ज है उसका केवल 92 प्रतिशत ही वसूल होता है और जो कामर्शल बैंक हैं उनकी वसूली भी बेहतर नहीं है तथा कोआपरेटिव जो बैंक हैं उनकी वसूली भी इससे बेहतर नहीं है । इस प्रकार बड़ी रकम की वसूली न होने के क्या कारण हैं इन पर सरकार को विचार करना चाहिए । मेरी समझ से इसके चार पांच कारण हैं । एक तो सूद की ऊंची दर है जो बैंक वाले कर्जदार से लेते हैं उनसे वे चक्रवर्ती ब्याज लेते हैं । सूखे, बाढ़ का भी असर इस इलाके में अधिक होता है जिसके कारण बैंकों से दिया गया कर्ज वसूल नहीं होता है । इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर कर्ज को रिशेड्यूल कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा । लेकिन रिशैड्यूलिंग करने से समस्या का समाधान नहीं होगा । इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि ये कर्ज सीमा तक किसनों को, पिछड़े लोगों को वीकर सेक्शन्स को हरिजनों को दिए जाते हैं । इसलिए रीजनल रूरल बैंक के जो कर्ज हैं उनकी दर 4 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । उनसे डिफरेंशल रेट आफ इंटरेस्ट लिया जाना चाहिए यह मेरा पहला सुझाव है । (समय की घंटी)

श्रीमन् मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो चक्रवर्ती ब्याज इन लोगों से वसूल किया जाता है, वह बंद किया जाए । तीसरा सुझाव मेरा यह है कि बैंक अगर मूलधन का दुगुना प्राप्त कर चुके हैं सूद समेत तो उस कर्ज को माफ कर देना चाहिए जैसा कि मनीलेंडरस एक्ट में व्यवस्था है । अगर मनीलेंडर्स ऐक्ट में ऐसी व्यवस्था है गांव के लोगों को सूदखोरों से बचाने के लिए तो बैंकों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए । चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकों के पास पैसे कम हैं कर्ज देने के लिए । इसलिए अधिक लोगों को वह कर्ज नहीं दे पाते हैं । पहले जो एक्ट बना था उसमें प्रावधान था । जो डिपोजिट

6.00P.M. होगा और जो स्पोंसर्ड बैंक होंगे या नया नाबार्ड बैंक होगा वह कर्ज देगा उससे गरीबों को कर्ज मिलेगा । लेकिन पाया यह जाता है कि स्पान्सर्ड बैंक एक परसेंट से दो परसेंट तक ही कर्ज दे पाते हैं । नाबार्ड भी बहुत कम फाइनेंस करता है । मेरा सुझाव है कि नाबार्ड को पूरा 50 परसेंट फाइनेंस करना चाहिए और जो सपोंसर्ड बैंक हैं उनको 20 परसेंट करना चाहिए ।

तीसरी बात यह है कि शड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को कारपोरेशन का प्रग्राम पंचायतों को और हाउसिंग बोर्ड को बैंकों से कर्ज मिलना चाहिए । बैंक जो घाटे में जा रहे हैं उनको घाटा बर्दाश्त करना चाहिए । स्पोंसर्ड बैंक को भी घाटा बर्दाश्त करना चाहिए । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार जो हैं उनको भी घाटा बर्दाश्त करना चाहिए । अंत में यह कहूंगा कि प्रबन्ध में किसानों का प्रतिनिधि, कर्मचारियों का प्रतिनिधि रखा जाना चाहिए। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सागर रायका (गुजरात) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के संशोधन के बारे में जो बिल राज्य वित्त मंत्री श्री पुजारी जी लाये हैं उसका मैं स्वागत करता हूं और ग्रामीण विकास बैंकों के द्वारा हम यह करना चाहते हैं । इस सदन के सभी साथियों को पता है कि इस देश में समाजवाद की बात 1969 में स्वर्गीय आदरणीय उस वक्त की बड़ी प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी ने की और इस

[श्री सागर रायका]

देश में बैंकों के नेशनलाइजेशन का ख्याल किया। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने भी कहा था इस देश के गांव और गरीब आदमी जब तक अपने आप को सक्षम करके अपनी जीविका नहीं कमा सकेगा, उसको आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक इस आजादी का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस समाजवादी कार्यक्रम से आगे बढ़ रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की उस टाइम में कांग्रेस के अंदर खिलाफत होते हुए भी इस देश को ऊपर उठाने के लिए जो गांव में बैठे हुए हैं छोटे किसान हैं उनको आगे लाने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। उसकी बड़ी कीमत इस देश को उस टाइम में देनी पड़ी। देश का एक सामान्य आदमी जो गांव में बैठा है ग्रामीण विकास का आधार स्तम्भ है उसके लिए, उसके *विकास के लिए उसकी आजीविका* के लिए बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उस ऋण की सुविधा को बढ़ाने के लिए रीजनल रूरल डवलपमेंट बैंक की स्थापना 1976 में की गयी। उसके बाद बैंक नेशनलाइज्ड हो गये तो पहले उनके पास जाकर छोटे किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए कर्ज लेना आसान नहीं था। इस देश की यह कांग्रेस की सरकार ही है जिसने इस देश के गरीब आदमी को, छोटे किसान को कर्ज दिलाने में मदद की। पहले इस कार्यक्रम के आधार पर बड़े-बड़े पूंजीपति उस धन का उपयोग अपने फायदे के लिए करते थे। वह धन देश की गरीब जनता तक नहीं पहुंचता था। पुजारी जी ने बताया कि विपक्ष के माननीय सदस्य जो इस सदन के बड़े सीनियर साथी हैं उन्होंने अपने आप को लपेटा तो मैं खुलकर कहूंगा कि इस देश में इस देश के लोगों को जो ऋण दिया जाता है।

उस ऋण को वापस करने के लिए वे लोग मना कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों को मदद दी है जो अपने पैरों पर खड़े *होना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार ने* गरीब लोगों की मदद के लिए प्लेटफार्म बनाया तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उस प्लेटफार्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं। देवीलाल जैसे लोग ग्रामीण लोगों से कहते हैं कि तुमको जो ऋण दिया गया है उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग इस देश का विकास और ग्रामीण लोगों का विकास नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए श्रीमती *इंदिरा गांधी जी ने आवाज उठाई थी* और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। इन लोगों ने उस वक्त बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया। श्रीमती इंदिरा गांधी आम लोगों की भावनाओं को जानती थी और उनकी मांग को देखते हुए सन् 1971 में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया। इस बात के लिए कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम बनाया। इस देश के लोगों ने कांग्रेस को फिर से अपना मत दिया। जिन लोगों ने उस वक्त इन चीजों का विरोध किया था वही लोग आज ग्रामीण विकास की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि रीजनल रूरल बैंकों के जरिए गांव-गांव में बैंकों की शाखाएं खुलेंगी और हमारे किसान भाइयों को मदद मिलेगी। गांवों में जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, जो अपना उद्योग चलाना चाहते हैं, अपनी जिन्दगी चलाना चाहते हैं उनको इन बैंकों के जरिए कर्ज मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में इन बैंकों की शाखाएं खुलें, इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए। हर जिले में ग्रामीण बैंक की सुविधा होनी चाहिए। ग्रामीण विकास की आपकी जो कल्पना है, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। जैसा हमारे पचौरी जी ने कहा, हमारे देश में सहकारी बैंक भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नाबार्ड भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ कमियां भी हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए और सरकार को इन पर अपना कंट्रोल रखना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन बैंकों के कामकाज को

चेक करें और यह देखें कि इन बैंकों से हमारे ग्रामीण भाइयों को जो लाभ मिलना चाहिए वह मिलता रहे। देखने में यह आता है कि जो इन बैंकों के चेयरमैन या डायरेक्टर होते हैं वे अपने बच्चों को ही इनमें नियुक्त कर देते हैं और जो इस देश के गरीब हरिजन, पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जहां इन बैंकों के जरिए हमारे गरीब लोगों को ऋण मिले वहां इन नियुक्तियों पर भी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए और इसका प्रोविजन किया जाना चाहिए। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो हमें इन बैंकों के जरिए किसानों, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को ऋण देने की सुविधा देनी चाहिए और इसके ऊपर सरकार का चेक होना चाहिए। इसलिए यह भी जरूरी है कि इन बैंकों के अन्दर प्रजा के प्रतिनिधि होने चाहिएं। जहां इन बैंकों में नेशनलाइज बैंकों, रिजर्व बैंक के सदस्य हों, वहां इनमें महिलाओं और युवाओं के प्रतिनिधि भी हों जो अच्छी प्रकार से इन बैंकों का प्रचार गांवों में कर सकें और लोगों को इनके फायदे बता सकें। मैं यह भी चाहता हूं कि इन सब चीजों को मोनीटर करने के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। अगर इन बैंकों में प्रजा के प्रतिनिधि होंगे तो वे हमारे 20-सूत्री कार्यक्रम का भी प्रचार कर सकते हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम और रीजनल रूरल बैंकों के जरिए हम इस देश के आम लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनको सुविधाएं दे सकते हैं।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इन बैंकों में प्रजा के प्रतिनिधियों को अवश्य रखें। साथ ही जो हमारे देश में वीकर सेक्शन हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, जो अधिकतर गांवों में रहते हैं उनको इन बैंकों से अधिक से अधिक मदद मिलनी चाहिए और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रोग्राम्स हैं उनका इनमें प्रचार होना चाहिए। मोनीटर करने की बात मैं आपसे कह चुका हूं। इन सब कामों का बड़े पैमाने पर प्रचार होना चाहिए। अगर ग्रामीण विकास की योजनाओं का गांवों में अच्छा प्रचार होगा तो हमारे किसान भाई उसका फायदा उठा सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

MESSAGES FROM THE I. OK SABHA

(I) The Direct Tax Laws (Amend ment) Bill, 1987.

(II) The Commission of Sati (Pre vention) Bill, 1987.

(III) The Chandigarh (Delegation of Powers) Bill, 1987.

SECRETARYJGENERAL: Sir, I have t. 3 report to the House the fallowing messages received from Lok Sabha, signed by the Seer General of the Lok Sabha.

I

"In accordance with the sions of rule 96 of the Rules of Pr cedure and Conduct of Busines Lok Sabha, I am directed to enclose the Direct Tax Laws (Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha at its sitting held 0'i the December 1987.

2. The Speaker has certified this Bill is a Money Bill within meaning of article 110 of the Constitution of India. "

II

"In accordance with the provisions of rule 96 of die Rule Procedure and Conduc', of Busi in Lok Sabha, I am directed t > enclose th Commission of Sf. ti (Prevention) Bill, 1987 as pa by Lok Sabha at its sitting ho' the 15th December 1987. "

Ill

"In accordance with the provi: of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Busini